आयुक्त कार्यालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

सेवा अपील वाद सं0–64 / 2020

श्री विजय पासवान

बनाम

राज्य सरकार एवं अन्य

आदेश

अनुसूची 14–फारम सं0–563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
18.01.2023	माननीय उच्च न्यायालय पटना के समादेशवाद संख्या–**155 / 2020** में दिनांक–**06.02.2020** को पारित आदेश के आलोक में **श्री विजय पासवान** द्वारा यह सेवा अपील दायर की गई है। 2. यद्यपि श्री पासवान, संविदा पर नियोजित डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के सेवा अपील हेतु अपीलीय प्राधिकार के रूप में यह न्यायालय प्राधिकृत नहीं है परन्तु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश एवं प्रशासनिक आधार पर प्रस्तुत मामले में यह सुनवाई की जा रही है। 3. समाहरणालय, **पश्चिम चम्पारण, बेतिया** से प्राप्त मूल अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह मामला श्री **पासवान** के विरूद्ध समाहरणालय,**पश्चिम चम्पारण**(जिला प्रोग्राम शाखा) के आदेश ज्ञापांक–**1110** दिनांक–**13.09.2019** द्वारा उन्हें सेवा मुक्त किए जाने के आदेश से संबंधित है। 4. अभिलेख की समीक्षा के पश्चात् निम्नलिखित तथ्य अंकनीय है– **(i)** श्रीमती चाँदमुनी देवी, आँगनवाड़ी सेविका, केन्द्र संख्या–198, खैरहनीदोन, प्रखण्ड–रामनगर के द्वारा समर्पित परिवाद में इस तथ्य का उल्लेख था कि उन्हें सेविका पद पर योगदान देने के उपरान्त से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है एवं पूर्व की सेविका श्रीमती अन्नु देवी के नाम का अनुपस्थिति विवरणी विभागीय पोर्टल पर अपलोड करते हुए डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) श्री विजय पासवान के द्वारा मानदेय की राशि श्रीमती अन्नु देवी के खाते में ही आवंटित कर दिया गया। उक्त परिवाद में श्री पासवान के द्वारा मानदेय की राशि श्रीमती चाँदमुनी देवी के खाते में भेजने हेतु मो0 10,000 / – की रिश्वत मांगने का आरोप भी	

WEB COPY NOT OFFICIAL

प्रतिवेदित था।

(ii) जिला प्रोग्राम शाखा के पत्रांक–1133/गो0 दिनांक–04.07.2019 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी बगहा को परिवाद की जाँच हेतु निदेशित किया गया। उक्त निदेश के आलोक में अनुमंडल कार्यालय, बगहा के पत्रांक–145 दिनांक–31.08.2019 के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

(iii) उक्त प्रदिवेदन में परिवादी चाँद मुनी देवी के आरोपों को परिस्थितिजन्यसाक्ष्यों के आधार पर सत्य पाते हुए यह प्रतिवेदित किया गया है कि ऑपरेटर द्वारा चयन मुक्त सेविका अन्नु कुमारी की उपस्थिति अपलोड कर दिया जाना मात्र एक लिपिकीय भूल नहीं है।

(iv) उक्त प्रतिवेदन की समीक्षा के पश्चात्समाहरणालय, पश्चिम चम्पारण के आदेश ज्ञापांक–1110 दिनांक–13.09.2019 द्वारा श्री विजय पासवान, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (संविदा), बाल विकास परियोजना कार्यालय, रामनगर परियोजना के द्वारा दायित्व के प्रतिकूल जाकर भ्रष्ट आचरण अपनाते हुए Illegal Gratification के लिए रिश्वत की मांग करने के आरोप को पुष्ट पाते हुए सेवा से मुक्त कर दिया गया।

5. श्री पासवान द्वारा समादेश याचिका संख्या–155/2020 विजय पासवान बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के माध्यम से उन्हें सेवा से मुक्त किए जाने के आदेश को माननीय पटना उच्च न्यायालय में चुनौति दी गयी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–06.02.2020 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है–

"Learned counsel for petitioner submits that he would approach the Commissioner the Division concerned against the order passed by the District Magistrate, West Champaran, Bettiah.

Without expressing any opinion on merits of such submissions, the application is dismissed with liberty aforesaid to the petitioner."

6. माननीय उच्च न्यायालय के अनुमति के आलोक में श्री विजय पासवान द्वारा जिला समाहरणालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के आदेश को इस न्यायालय के समक्ष चुनौति दी गयी है।

7. समाहरणालय, पश्चिम चम्पारण (जिला प्रोग्राम कार्यालय) से प्राप्त अभिलेख एवं मामले की सुनवाई में उभय पक्ष द्वारा विस्तार से रखे गये तथ्यों के विवेचन से निम्नलिखित तथ्य रेखांकित किए जाने योग्य है–

WEB COPY NOT OFFICIAL

	(i) डाटा इन्ट्री ऑपरेटर का कार्य संबंधित डाटा की प्रविष्टि पोर्टल पर करना है परन्तु उन डाटा को उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी संबंधित पदाधिकारियों/कर्मियों की है। जैसा की इस मामले में पूर्व आँगनवारी सेविका, अन्नु कुमारी का नाम हटाकर चाँदमुनी देवी की अनुपस्थिति विवरणी उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी महिला पर्यवेक्षिका की थी जिनके द्वारा भी इस मामले में त्रुटि हुई है। साथ ही किसी भी परिवर्तन के लिए संबंधित पदाधिकारी/पर्यवेक्षक द्वारा भी मामले की ओर ध्यान नहीं दिया गया। किसी भी प्रकार के डाटा अपलोड करते समय अथवा प्रविष्ट करते समय पदाधिकारी/पर्यवेक्षक से उनके पासवर्ड की मांग संबंधित पोर्टल द्वारा की जाती है। जिसका आशय उस पदाधिकारी द्वारा जाँचोपरांत अंकित डाटा की संपुष्टि करने से है। (ii) श्री पासवान द्वारा भी प्रस्तुत मामले में लापरवाही बरती गयी है परन्तु उनके विरूद्ध रिश्वत की मांग किए जाने का परिवादी के बयान के अतिरिक्त कोई साक्ष्य नहीं है। (iii) श्री पासवान के विरूद्ध सेवा मुक्त किए जाने का निम्न न्यायालय (जिला पदाधिकारी) का निर्णय भी उनके द्वारा बरती गयी लापरवाही के समानुपातिक नहीं है। अतएवसम्यक् समीक्षोपरांत समाहरणालय पश्चिम चम्पारण, बेतिया (जिला प्रोग्राम शाखा) के आदेश ज्ञापांक–1110 दिनांक–13.09.2019 को निरस्त करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है– (i) श्री विजय पासवान इस आदेश निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर जिला पदाधिकारी कार्यालय में संविदा पर नियोजन हेतु अभ्यावेदन समर्पित कर सकते हैं। यदि विनिर्धारित अवधि के अन्दर श्री विजय पासवान द्वारा संविदा परपुनर्नियोजन हेतु अभ्यावेदन समर्पित किया जाता है तो उनकी संविदा सेवा को अभ्यावेदन समर्पित करने के एक माह के अन्दर पुनर्बहाल करते हुए उन्हें उक्त परियोजना से भिन्न किसी दूरस्थ कार्यालय में पदस्थापित कर दिया जाय। (ii) श्री पासवान के संविदा सेवा पर पुनर्नियोजन के पश्चात् उनके योगदान की तिथि से मानदेय का भुगतान किया जाएगा। उन्हें सेवा मुक्त किए जाने की तिथि से पुनः संविदा पर नियोजित किए जाने की तिथि तक की अवधि की बकाया राशि भुगतेय नहीं होगी। (ii) श्री पासवान से दो माह के मानदेय की राशि के समतुल्य राशि की वसूली अथवा मानदेय से कटौती कर ली जाय। साथ ही भविष्य में श्री पासवान के द्वारा इस प्रकार का आचरण/त्रुटिदुहराए जाने पर उनकी	

WEB COPY NOT OFFICIAL

	संविदा सेवा समाप्त किये जाने की चेतावनी भी निर्गत की जाय। इस आदेश की प्रति जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया एवं श्री विजय पासवान सहित सभी संबंधितों को प्रेषित कर दी जाय। लेखापित एवं संशोधित आयुक्त आयुक्त	

WEB COPY NOT OFFICIAL

WEB COPY NOT OFFICIAL